



प्रेस-नोट

थाना किशनपुर का टाप - 10 व ₹ 25000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त लूट के रूपये व नाजायज तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तारा

आज दिनांक 31.07.2022 को रात्रि में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज, प्रयागराज महोदय द्वारा चलाये गये अभियान वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी एवं वारंटी के विरुद्ध गिरफ्तारी के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खागा महोदय एवं प्रभारी निरीक्षक किशनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना किशनपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नरैनी को जाने वाले रास्ते बरौलिया मोड़ के पास चौकी विजयीपुर क्षेत्र, थाना किशनपुर के टाप - 10 व 25000/- का इनामिया अपराधी मु0अ0सं0 138/2021 धारा 392/411/120B भादवि में वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ रजौली सिंह पुत्र स्व0केदार सिंह निवासी बरौलिया थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को समय करीब 03.30 बजे नाजायज तमंचे व कारतूस 12 बोर व लूट की घटना के शेष 4000/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर लूट की में रेकी करने में अभियुक्त राजकुमार उर्फ रजौली की अहम भूमिका रही है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त राज कुमार उर्फ रजौली के विरुद्ध मु0अ0सं0 122/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर अभियुक्त को मय माल के माननीय न्यायालय खाना किया गया।

वादी मुकदमा श्री श्याम जी अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी कस्बा व थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के आंख में मिर्च डालकर अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 26.09.2021 को 200000/- रूपया छीनने की घटना कारित किये थे। पूर्व में अन्य अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त लूट की घटना से 166900/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया जा चुका है।

अभियुक्त राजकुमार उर्फ रजौली सिंह के कब्जे से माल बरामदगी का विवरण

1. 1 अदद तमंचा 12 बोर, व 1 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोरा
2. लूट के शेष माल 4000/- रूपये बरामद।

अभियुक्त राजकुमार उर्फ रजौली सिंह का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 122/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना किशनपुर फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 138/21 धारा 392/411/120B भादवि, थाना किशनपुर, फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 566/11 धारा 147/148/307 भादवि थाना कोतवाली
4. मु0अ0सं0 569/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली
5. मु0अ0सं0 166/11 धारा 396/412 भादवि थाना मलवां
6. मु0अ0सं0 167/11 धारा 392/411/506 भादवि थाना मलवां
7. मु0अ0सं0 168/11 धारा 392/411 भादवि थाना मलवां
8. मु0अ0सं0 59/12 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना मलवां

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

- (1) प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार तिवारी, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (2) उ०नि० श्री नीरज कुमार कुशवाहा, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (3) उ०नि० श्री शशिकान्त सरोज, थाना किशनपुर
- (4) हे०का० सतीश भारती, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (5) हे०का० राम कैलाश, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (6) हे०का० मनोज भारती, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (7) का० अमित बघेल, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (8) का० अमित दुबे, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (9) का० राजू सिंह, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (10) म०का० मोनिका रावत, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (11) म०का० पूजा तिवारी, थाना किशनपुर, फतेहपुर

